**एपीडा के प्रमुख उत्पादों (FOCUS PRODUCTS) के लिए नए एफएएस आवेदन आमंत्रित करने हेतु सूचना**

एपीडा द्वारा "15वें वित्त आयोग चक्र ( 2021-22 से 2025-26) हेतु एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना" के तहत पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड राज्यों से प्रमुख उत्पादों के लिए निर्यात अवसंरचना उप-घटक के विकास के अंतर्गत नए प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं।

वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदनों को एपीडा की परिचालन योजना दिशा-निर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन 15.12.2024 को या उससे पहले जमा किए जा सकते हैं।

निधियों की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सभी आवेदनों की संवीक्षा की जाएगी तथा केवल अल्पतर अभिवेदन प्रदान करने वाले उत्पाद/राज्यों के योग्य मामलों को ही प्राथमिकता दी जाएगी।